छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–01/2017/एक/6 नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः– स्थानांतरण नीति– वर्ष, 2017.

––00––

राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार वर्ष 2017 के लिए निम्नानुसार **स्थानांतरण नीति** जारी की जाती है। सभी स्थानांतरण शासन स्तर से प्रशासकीय विभाग द्वारा माननीय विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन से किये जायेंगे।

1.1 विभाग में राज्य स्तरीय स्थानांतरण केवल दिनांक 11 जुलाई, 2017 से 31 जुलाई, 2017 तक ही किये जा सकेंगे।

1.2 माननीय विभागीय मंत्रीजी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्थानान्तरण प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा सीधे माननीय मंत्रीजी को प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव/नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश अर्थात् प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/भारसाधक सचिव के माध्यम से ही विभागीय मंत्रीजी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे और अनुमोदन उपरान्त आदेश तद्नुसार विभाग द्वारा प्रसारित किये जाएंगे।

1.3 विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर–अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव है, तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर–अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन (इमबैलेंस) हैं, उसे संतुलित (बैंलेंस) करने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरें हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियॉ बनी रहें।

..2..

1.4 जिन पदों एवं स्थानों पर अधिकारी/कर्मचारी का आधिक्य है, ऐसे स्थानों से स्थानान्तरण न्यूनता (Deficit) वाले स्थान हेतु हो। किसी भी परिस्थिति में न्यूनता (Deficit) वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा ताकि संतुलन बना रहे एवं कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके।

1.5 अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के आ जाने के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाएं।

1.6 ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर **दो वर्ष या उससे अधिक** कालावधि से पदस्थ हों, केवल उन्ही के स्थानान्तरण किये जायेंगे।

1.7 एक ही स्थान पर दो वर्ष से कम अवधि से पदस्थ शासकीय सेवकों के स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि शिकायतों के आधार पर या विशेष परिस्थिति में दो वर्ष से कम अवधि में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक हो, तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर ही समन्वय में अनुमोदन पश्चात् स्थानांतरण किए जा सकेंगे।

1.8 स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे स्थानांतरण प्रशासकीय दृष्टि से भी उचित हो। ऐसे प्रकरणों में भी दो वर्ष से पदस्थ रहने की शर्त का पालन किया जाए।

1.9 जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति के लिए एक वर्ष का समय शेष रह गया हो, उन्हें गृह जिलें में अथवा उनके विकल्प के जिले में पदस्थ किया जा सकेगा, यदि सामान्य पुस्तक परिपत्र के अनुसार यह अनुज्ञेय हो।

1.10 शासकीय सेवक पति–पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापना पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तथापि यदि पति/पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थापना के लिए अनुरोध करें तो उनके अनुरोध पर विभाग द्वारा पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यथासंभव प्रशासकीय सुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ही स्थान पर पदस्थापना देने का प्रयास किया जा सकेगा।

1.11 **प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी** के अधिकारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम **15 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी** के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम **10 प्रतिशत** तथा **चतुर्थ श्रेणी** के कर्मचारियों के मामलों में **05 प्रतिशत** तक स्थानांतरण किये जा सकेगें।

(परस्पर सहमति/स्वयं के व्यय पर किये गये स्थानांतरण भी उक्त प्रतिशत के निर्धारण में शामिल होंगे, अतः निर्धारित प्रतिशत का ध्यान भारसाधक सचिव रखेंगे)

1.12 विभाग के भारसाधक सचिव यह सुनिश्चित करेगें कि अनुमोदित प्रस्तावानुसार स्थानांतरण आदेश जारी किए की जाकर उनका क्रियान्वयन 10 अगस्त, 2017 तक हो जाए।

..3..

1.13 जारी किए गए स्थानांतरण आदेश निरस्त/संशोधित नहीं किये जायेंगे। स्थानांतरण पश्चात नवीन पदस्थापना स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

1.14 ऐसे स्थानांतरण न किए जाएं जिन्हें निरस्त/संशोधित करना पड़े। यदि किन्ही कारणों से स्थानांतरण आदेश को निरस्त या संशोधित करना आवश्यक हो तो उसे समन्वय में अनुमोदन के पश्चात् ही निरस्त/संशोधित किया जाए।

2/ **स्थानान्तरण पर दिनांक 01 अगस्त, 2017 से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लागू हो जाएगा,** किन्तु अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में प्रतिबंध की अवधि में एवं आगामी वर्ष की स्थानांतरण नीति लागू होने तक समन्वय में अनुमोदन के उपरांत स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।समन्वय में आदेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों में संबंधित विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र (संलग्न परिशिष्ट–अ) में जानकारी दी जाना आवश्यक होगी। प्रस्ताव में इस बात की जानकारी दी जाना आवश्यक होगी कि प्रदेश में प्रश्नाधीन श्रेणी के कुल कितने शासकीय सेवक पदस्थ हैं तथा पूर्व में समन्वय में आदेश प्राप्त कर अब तक किए गए स्थानान्तरणों का प्रतिशत कितना हैं।

3/ **विशेष उपबंध–** निम्न प्रकार की पदस्थापनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण निहित होता है, तथापि ऐसी पदस्थापनाओं के प्रस्तावों पर समन्वय में आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसी पदस्थापनाओं के संबंध में विभागीय मंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी किये जा सकेंगे :–

3.1 प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर विभाग के अधीन की जाने वाली पदस्थापना, यदि उससे कोई अन्य अधिकारी प्रभावित न होता हो।

3.2 किसी अधिकारी की सेवाएं अन्य विभाग/संस्था में प्रतिनियुक्ति या डिप्लायमेंट (एक्स कैडर पदस्थापना) पर सौंपनी हों और दोनों विभाग उसके लिए सहमत हों।

3.3 मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के लिए आबंटित अथवा आपसी अदला–बदली की नीति अनुरूप छत्तीसगढ़ केडर में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी जो मध्यप्रदेश से भारमुक्त होकर छत्तीसगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने पर पदस्थापना, यदि उनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित न होता हो।

3.4 लोक सेवा आयोग से अथवा चयन समिति द्वारा चयनित नई नियुक्ति से संबंधित उम्मीदवारों की रिक्त पदों पर पदस्थापना।

3.5 न्यायालय के निर्देश/निर्णय के पालन में स्थानांतरण कर पदस्थापना करना यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित न होता हो।

..4..

3.6 पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना, यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित न होता हो।

3.7 एक ही स्थान (शहर) में, विभाग के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पदस्थापना।

4/ **स्थानांतरण नीति के पालन का दायित्व**– उपरोक्त स्थानान्तरण नीति/निर्देश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागीय सचिव की होगी। वे विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि :–

4.1 विभाग में स्थानान्तरण की नीति/निर्देश का पालन हो रहा है।

4.2 माननीय विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किए जाएं। समन्वय में होने वाले स्थानान्तरण के मामलों में समन्वय में अनुमोदन होने के उपरान्त ही स्थानान्तरण किये जाएं।

4.3 समन्वय में स्थानांतरण के प्रस्ताव की नस्ती छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत की जाए।

4.4 स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में समन्वय में जारी होने वाले स्थानान्तरण आदेशों में आवश्यक रूप से यह उल्लेख किया जाए कि– "स्थानांतरण आदेश समन्वय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किये जा रहे हैं।"

4.5 राज्य स्तर पर किए गए स्थानान्तरणों के क्रियान्वयन की स्थिति दिनांक 10 अगस्त, 2017 तक विभाग की वेबसाइट पर दर्शायी जाए।

5/ **राज्य स्तरीय स्थानांतरण के विरूद्ध अभ्यावेदन**– स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक द्वारा उसके स्थानांतरण के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन, स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर, शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिव समिति के संयोजक एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किया जा सकेगा। अभ्यावेदन में स्थानांतरण नीति की जिस कंडिका का उल्लंघन हुआ हो, उसकी स्पष्ट जानकारी एवं आधार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों का परीक्षण करने के पश्चात समिति उसकी अनुशंसा संबंधित विभाग को सीधे प्रेषित करेगी। समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि वह प्रकरण में आगामी कार्यवाही कर, आवश्यकतानुसार समन्वय में विधिवत् अनुमोदन उपरान्त समुचित आदेश पारित करे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी. सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1–01/2017/एक/6 नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
5. समस्त माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव के विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर।
6. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
9. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
10. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर।
11. संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर।
12. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर की ओर इस विभाग की वेबसाईटः www.cg.nic.in/gadonline पर अपलोड करने हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

विभाग का नाम .....

स्थानांतरण के समन्वय प्रकरणों के सम्बन्ध में जानकारी

स. क.	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापना	प्रस्तावित पदस्थापना	प्रस्तावित पदस्थापना स्थान/जिले में पूर्व में पदस्थ रहें हो तो विवरण	प्रस्तावक	कारण 1 प्रशासनिक 2 आपसी 3 अन्य	विभागाध्यक्ष का मत	विभाग का मत	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

टीपः प्रपत्र के नीचे टीप में यह स्पष्ट किया जाए कि :–

(अ) अब तक किये गये स्थानांतरण ..... प्रतिशत है।

(ब) प्रस्तावित स्थानांतरण के फलस्वरूप ..... प्रतिशत होगा।

अधिकारी के हस्ताक्षर
पदमुद्रा सहित